

अध्याय- प्रथम
शोध विषय का परिचय

अध्याय - प्रथम

शोध विषय का परिचय

1.1 प्रस्तावना-

शिक्षा मानव की समस्त स्वाभाविक शक्तियों का पूर्ण प्रगतिशील विकास है अतः शिक्षार्जन करने वाला सामान्य बालक हो या विशिष्ट, उनको शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर प्राप्त होना न्याय संगत है।

समावेशी शिक्षा का अर्थ प्रक्रिया से है जिसका उद्देश्य विशिष्ट बच्चों को समान अवसर और पूर्ण भागीदारी प्रदान करने लिये उपयुक्त माहौल बनाना है, ताकि उनमें आत्मविश्वास जाग्रत हो सके।

समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत बच्चे एक साथ कक्षा में सीखते हैं तथा कक्षा में विभिन्न सामग्री का उपयोग आवश्यकतानुसार करते हैं और विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते हैं। समावेशी शिक्षा बिना परवाह किये अपनी ताकत या किसी भी क्षेत्र में कमजोरी की वजह से कक्षा और समुदाय में एक साथ सभी छात्रों को लाता है।

Conceptual Framework-


विभिन्न योजना और अधिनियम ने समावेशी शिक्षा की अवधारणा को इस प्रकार व्यक्त किया है-

यूनेस्को के अनुसार-

स्कूल में सभी बच्चों को उनके शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक तथा अन्य परिस्थितियों के सभी बच्चों को समायोजित करना चाहिए।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार-

देश के सदस्यों की सही पहचान के लिये विशिष्ट व्यक्तियों की शिक्षा से होती है। बिना भेदभाव के इस अधिकार को साकार करने की दृष्टि से समानता का अवसर देना चाहिए।



निःशक्त व्यक्ति विकलांग अधिनियम (P.W.D. Act. 1995)

इस अधिनियम को संसद द्वारा 12 दिसम्बर 1995 को पारित किया गया तथा 7 फरवरी, 1996 को अधिसूचित किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य निःशक्त व्यक्तियों को सुविधाएँ, सेवाएँ प्रदान करने के लिये केन्द्रीय और राज्य सरकार, स्थानीय उत्पादन व उपयोगी नागरिक के रूप में समान अवसर के लिये भागीदारी कर सके। इस अधिनियम में निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों व सुविधाओं की सूची है तथा जो कि प्रवर्तित है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रतिवेदन में कहा गया है कि विशिष्ट बालकों को शिक्षा देने का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वे पूरे समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। उनकी उन्नति भी आम आदमी की तरह से हो। वे आत्मविश्वास के साथ जिंदगी जिँएँ।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार-

समावेशी शिक्षा सभी स्कूलों में व्यापक रूप से लागू किये जाने की जरूरत है। स्कूलों को ऐसे केन्द्र बनाये जाने की आवश्यकता है जहाँ बच्चों को जीवन की तैयारी कराई जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि सभी बच्चे खासकर शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ बच्चों, समाज के हाशिये पर जीने वाले बच्चे और कठिन परिस्थितियों में जीने वाले बच्चों को शिक्षा के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में सबसे ज्यादा फायदा मिले।

कोठारी आयोग(1964-66) के अनुसार-

विशिष्ट बालकों को दी जाने वाली शिक्षा का प्रमुख कार्य है इसे उस सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से सामंजस्य करने के लिये तैयार करना जिसका निर्माण सामान्य व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये हुआ है अतः यह आवश्यकता है कि विशिष्ट बालकों की शिक्षा सामान्य शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है।

RTE 2009 के अनुसार-

शिक्षा एक मौलिक अधिकार है तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी अपने शैक्षणिक आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में बराबर का मौका मिलना चाहिए।

शिक्षा का अधिकार सभी को लागू करना चाहिये इसलिये यह करने के लिये नियमित रूप से स्कूलों में इन बच्चों को एकीकृत करने के लिये महत्वपूर्ण है।

समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत अध्ययन करके विशिष्ट बच्चों को अपनी विशिष्टता के कारण भविष्य में समाज द्वारा दी जाने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिये तैयार होना है। समावेशी शिक्षा द्वारा विशिष्ट बालक शिक्षा प्राप्त करके जीवन निर्वाह करने योग्य बन जाते हैं तथा समाज पर बोझ नहीं बनते, जिससे सामाजिक समस्या भी समाप्त हो जाती है।

1.2 अध्ययन की आवश्यकता-

निःशक्त बच्चे जो अपनी निःशक्तता या अपने अविकसित अंग के कारण आगे बढ़ने से डरते हैं उन्हें समावेशी शिक्षा के कारण अपना पूर्ण विकास करने का अवसर प्रदान किया जा सकता है।

समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षकों में जागरूकता एवं सकारात्मक अभिवृत्ति ऐसे निःशक्त बच्चों में स्वस्थ भावना को जागृत करती है तथा उनमें हीन भावना आने से रोकती है।

NCF के अनुसार -

समावेशी शिक्षा निःशक्त बच्चों के लिये बहुत ही जरूरी है ताकि इसके द्वारा ऐसे बच्चों को शिक्षा प्रदान कर उन्हें जीवन यापन के लिये तैयार किया जा सके। समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

RTE के अनुसार -


समावेशी शिक्षा एक ऐसा उपकरण है जिसमें सभी बच्चों को सामान्य प्रणाली में लाया जा सकता है।

सभी बच्चों (निःशक्त बच्चों सहित) को समावेशी शिक्षा प्रदान करना जरूरी है किसी भी बच्चे को उसकी निःशक्तता के आधार पर शिक्षा देने से मना नहीं कर सकते। इस संदर्भ में समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षकों की जागरूकता और अभिवृत्ति का अध्ययन करने की आवश्यकता है।

अतः समावेशी शिक्षा एक नई शुरुआत है जिसमें शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षक ही समावेशी शिक्षा के प्रभावशाली क्रियान्वयन के लिये उत्तरदायी होते हैं इसलिये इस अध्ययन में शिक्षक की समावेशी शिक्षा के

प्रति जागरुकता और अभिवृत्ति का अध्ययन करने की आवश्यकता अनुभव की गई है।

आकृति क्रं.1,1 समावेशी शिक्षा की विशेषताएँ



Source (स्त्रोत) – विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव (NCERT) राजपूत जगमोहन सिंह, देवल ओंकार सिंह, मिश्र चौधरी, हेमकांत मिश्र, चंद पूरन (2001)

1.3 समस्या कथन-

समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षकों की जागरुकता और अभिवृत्ति का अध्ययन।

1.4 अध्ययन में प्रयुक्त कारकों की तकनीकी परिभाषा-

जागरुकता- समावेशी शिक्षा के स्वरूप और योजना के प्रति जानकारी होना।

अभिवृत्ति- शिक्षकों का समावेशी शिक्षा के प्रति रुझान (नकारात्मक या सकारात्मक) है।

समावेशी शिक्षा- समावेशी शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य विशिष्ट बालकों को सामान्य भागीदारी प्रदान करने के लिये उपयुक्त वातावरण बनाना ताकि उनमें भी आत्मविश्वास जागृत हो सके एवं वे आत्मनिर्भर बन सकें।

1.5 अध्ययन के शोध प्रश्न-

1. क्या समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षक जागरूक हैं ?
2. क्या समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षकों की अभिवृत्ति सकारात्मक हैं ?
3. क्या समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता और अभिवृत्ति में सह संबंध हैं ?

1.6 अध्ययन के उद्देश्य-

1. विद्यालय प्रबंधन के आधार पर समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता में भिन्नता का अध्ययन करना।
2. विद्यालय प्रबंधन के आधार पर समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षकों की अभिवृत्ति में भिन्नता का अध्ययन करना।
3. लिंग के आधार पर समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता में भिन्नता का अध्ययन करना।
4. लिंग के आधार पर समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षकों की अभिवृत्ति में भिन्नता का अध्ययन करना।
5. शिक्षण अनुभव के आधार पर समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता में भिन्नता का अध्ययन करना।
6. शिक्षण अनुभव के आधार पर समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षकों की अभिवृत्ति में भिन्नता का अध्ययन करना।
7. समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता और अभिवृत्ति में सहसंबंध का अध्ययन करना।

1.7 परिकल्पनायें -

1. समावेशी शिक्षा के प्रति विद्यालय प्रबंधन के आधार पर प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं है।
2. समावेशी शिक्षा के प्रति विद्यालय प्रबंधन के आधार पर प्रारंभिक शिक्षकों की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है।

3. समावेशी शिक्षा के प्रति लिंग के आधार पर प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं है।
4. समावेशी शिक्षा के प्रति लिंग के आधार पर प्रारंभिक शिक्षकों की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है।
5. समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षण अनुभव के आधार पर प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं है।
6. समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षण अनुभव के आधार पर प्रारंभिक शिक्षकों की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है।
7. समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षकों की जागरूकता और अभिवृत्ति में सार्थक सहसंबंध नहीं है।

1.8 समस्या का सीमांकन -

1. प्रस्तुत शोध कार्य म.प्र. के भोपाल के शहरी विस्तार तक सीमित है।
2. प्रस्तुत शोध कार्य तीन अशासकीय विद्यालयों में और तीन शासकीय विद्यालयों में किया गया।
3. प्रस्तुत शोध कार्य प्रारंभिक शिक्षकों पर ही किया गया।
4. प्रस्तुत शोध कार्य प्रारंभिक शिक्षकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति और जागरूकता के संबंध में किया गया।

